Affiliated To : Federation of Jharkhand Chamber of Commerce & Industries, Ranchi
Regtn. No. (SRA - 1860) : 708/2009-10 (Govt. of Jharkhand)

संताल परगना चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, देवघर
SANTAL PARGANA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES, DEOGHAR

spccideoghar.2021@gmail.com | www.spccideoghar.in

PRESIDENT
ALOK KR. MALLICK
9934503132 | 8409386865

GENERAL SECRETARY
PRAMOD CHHAWCHHARIA
8709873483 | 9431132221

पत्रांक : SPCCI-22/2021-23 दिनांक : 30.03.2022

सेवा में,

माननीय राज्यपाल महोदय,
झारखण्ड।

विषय : झारखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 के संबंध में ज्ञापन।

महोदय,

संताल परगना चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, देवघर की ओर से अभिवादन!

राज्य सरकार द्वारा 25 मार्च 2022 को विधानसभा में पारित झारखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 से राज्य के व्यापारियों में असमंजस की स्थिति बन गई है और अंदेशा जताया जा रहा है कि व्यापक सहमति बनाये बिना ही राज्य में फिर से अप्रत्यक्ष रूप से 2 प्रतिशत बाजार समिति शुल्क लगाये जाने का प्रावधान किया जा रहा है।

विदित हो कि राज्य में 2 प्रतिशत बाजार समिति शुल्क पहले भी लागू थी। लेकिन राज्यभर से विभिन्न चेम्बर तथा व्यापारिक संगठनों की भारी विरोध और लंबे जद्दोजहद के बाद पिछली सरकारों ने पहले इसे घटाकर एक प्रतिशत किया। लेकिन इससे भी असंतुष्ट होने के कारण बाद में इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। इस शुल्क के समाप्त होने से किसानों तथा व्यापारियों को राहत मिली थी। इस शुल्क से सरकार को जितना राजस्व संग्रह नहीं होता था, उससे कहीं ज्यादा मंडियों तथा हाट–बाजारों में इसके नाम पर अवैध वसूली, भयादोहन और भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। एक बार फिर से वर्तमान सरकार कृषि बाजार समिति टैक्स का अप्रत्यक्ष बोझ झारखण्ड के व्यापारियों पर थोपना चाहती है जो अव्यावहारिक तथा यहां के व्यापारियों एवं लोक हित के प्रतिकूल साबित होगा।

अतः सादर अनुरोध है कि झारखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 को महोदय द्वारा हस्ताक्षर न कर इसे वापस किया जाय तथा इस विधेयक पर राज्य के व्यापरियों तथा सभी जिलों के चेम्बर के साथ व्यापक सहमति बनाने तथा पुनर्विचार करने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित किया जाय।

कृपया भवदीय निम्नलिखित तथ्यों पर गौर कर कृषि बाजार समिति सेस या टैक्स के नुकसानों को समझ सकते हैं।

1. विगत वर्षों में बाजार समिति शुल्क से राज्य के व्यापारी वर्ग त्रस्ट थे तथा यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला तथा काले शुल्क के रूप में जाना जाता था। लंबे जद्दोजहद के बाद पिछली सरकार ने इसे समाप्त कर दिया था। यहां के किसानों तथा गल्ला एवं खद्यान्न व्यापारियों को राहत मिली थी।

2. इस शुल्क से सरकार को जितना राजस्व संग्रह नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा पहले की तरह ही मंडियों तथा हाट–बाजारों में इसके नाम पर अवैध वसूली, भयादोहन और भ्रष्टाचार पनपेगा तथा इंस्पेक्टर राज की वापसी होगी।
3. वर्तमान में हमारे पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल, उड़ीसा सहित अन्य राज्यों में भी बाजार समिति शुल्क नहीं है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है और कृषि मूल्य के लागत में जुड़ जाता है। अतः अपने राज्य में इस शुल्क को पुनः लगाये जाने पर यहां कृषि उत्पादों के लागत मूल्य बढ़ेंगे जिससे यहां के किसानों और व्यापारियों को अपने उत्पादों की खरीद–बिक्री में नुकसान उठाना पड़ेगा तथा इनके व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे, जबकि इसका फायदा पड़ोसी राज्य के कृषि व्यापारियों को मिलेगा।

VICE PRESIDENT
UMESH RAJPAL
9431781598 | 7250784754

VICE PRESIDENT
SANJAY MALVIYA
9431134670 | 9576616022

VICE PRESIDENT
PIYUSH JAISWAL
9431163649 | 7717726102

JOINT SECRETARY
ANAND SAH
8521594569

TREASURER
DEEPAK SARAIYAN
9386651205

Correspondence Add. : Swarn Computer Press, Hanuman Tikri, Front of Jalsar Park, Deoghar - 814112 (Jharkhand)

4. झारखण्ड मुख्य रूप से एक उपभोक्ता राज्य है जहां अधिकतर कृषि उत्पादित वस्तुएं देश के अन्य राज्यों से आती है। अतः बाहर से मंगाये जाने वाले उत्पादों पर यहां कृषि शुल्क लगाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। शुल्क लग चुके वस्तुओं पर झारखण्ड में भी अलग से टैक्स या शुल्क लगाये जाने की स्थिति में एक ही वस्तु पर दुबारा शुल्क लगने के कारण महंगाई बढ़ेगी तथा उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ेगा।

5. इस शुल्क के पुनः लागू होने पर झारखण्ड के मुख्य उत्पादन धान की मूल्यवृद्धि होगी जिससे हमारे यहां चावल के दाम पड़ोसी राज्यों बिहार, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मुकाबले ज्यादा हो जायेगी। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में यहां के चावल का व्यापार अन्य राज्यों में स्थानांतरित होने लगेंगे।

6. इसके अलावे झारखण्ड के सब्जी उत्पादकों तथा असंगठित कृषि उपजों की बिक्री में मूल्य वृद्वि के कारण असहज स्थिति पैदा होगी।

7. जीएसटी संग्रह पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और यहां के व्यवसायी को जीएसटी के अलावे 2 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स देयता के कारण पड़ोसी राज्यों की तुलना में बड़ा व्यापार नुकसान होगा तथा व्यापार में पलायन करने की नौबत आएगी।

8. पूरे देश में जब एक देश एक कर की नीति जोड़ पकड़ रही है, वैसे में झारखण्ड सरकार की यह दोहरा कर नीति अलोकतांत्रिक कदम है।

इन परिपेक्ष्यों में किसानों तथा व्यापारियों के हित में फिर से बाजार समिति शुल्क या ऐसे किसी अप्रत्यक्ष सेस या टैक्स लागू करना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। महोदय से सादर निवेदन है कि सरकार के इस अलोकतांत्रिक कदम पर उचित निर्णय लेते हुए उपरोक्त अधिनियम (बिल) को पुनर्विचार के लिए वापस किया जाय।

आपका ही,

आलोक कुमार मल्लिक
अध्यक्ष